



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 212-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 5, 2017 (AGRAHAYANA 13, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 दिसम्बर, 2017

संख्या 134/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 59/2017.-पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 67/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 9/2017, दिनांक 4 अगस्त, 2017 के प्रतिनिर्देश से, मैं, आशिमा बराड़, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हूँ, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।  
(2) ये नियम 15 सितम्बर, 2017 से लागू हुए समझे जायेंगे।

2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 में, नियम 38 में, उप-नियम (16क) में,-

- खण्ड (कक) में, अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“परन्तु नगरपालिका क्षेत्रों में शराब ठेके जैसे कि अनुज्ञप्ति-2 या अनुज्ञप्ति एल-14क या संयुक्त शराब ठेके तथा उनके उप-ठेके जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के समानान्तर सर्विस लाईन के बगल में स्थित हैं, को छोड़कर सभी शराब दूकानों को शराब बेचने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है/का नवीकरण किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि नगरपालिका क्षेत्रों में 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के अधधीन उन शराब ठेकों जैसे कि अनुज्ञप्ति-2 या अनुज्ञप्ति-14क या संयुक्त शराब ठेके के अनुज्ञप्तिधारियों को राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के समानान्तर सर्विस लाईन के बगल में शराब ठेके/उप-ठेके स्थापित/बदलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

**टिप्पण.—** अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस नीचे दिए अनुसार परिकलित की जाएगी:—

बदले जाने वाले ठेका/उप-ठेका के जोन की कुल अनुज्ञप्ति फीस को जोन में अनुज्ञात ठेकों की संख्या से विभाजित किया जाए = एक ठेके की औसत कीमत।

औसत कीमत के 30 प्रतिशत को 12 से विभाजित करते हुए शेष मासों की संख्या से गुणा किया जाएगा।”;

(iii) खण्ड (ग) में, अन्त में, विद्यमान “;” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(iv) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु उपरोक्त शर्तें इस उप-नियम के खण्ड (कक) के द्वितीय परन्तुक की अनुपालना में उप-ठेकों को बदलने पर लागू नहीं होंगी।”।

आशिमा बराड,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 5th December, 2017

**No. 134/X-1/P.A.1/1914/S.59/2017.**— In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 67/X-1/P.A.1/1914/S.9/2017, dated the 4th August, 2017, I, Ashima Brar, Excise Commissioner, Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor Licence (Second Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 15th September, 2017.
2. In the Haryana Liquor Licence Rules, 1970, in rule 38, in sub-rule (16A),-
  - (i) in clause (aa), for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
  - (ii) after clause (aa), the following provisos shall be added, namely:-

“Provided that licenses for sale of liquor may be granted/renewed to all liquor shops, except liquor vends *i.e.* L-2 or L-14A or composite liquor vends and their sub-vends, alongside of National or State Highway or Service Lane along the Highway in municipal areas:

Provided further that licensees of liquor vends *i.e.* L-2 or L-14A or composite liquor vend may be allowed to establish/shift liquor vend(s)/sub-vend(s) alongside National/State Highway or Service Lane along the Highway in municipal areas subject to payment of 30% additional license fee.

**Note.—** The additional license fee shall be calculated as under:-

Total license fee of the Zone (of vend/sub-vend intended to be shifted) divided by number of vends allowed in the Zone = average price of 1 vend.

30% of average price divided by 12 multiplied by number of remaining months.”;

(iii) in clause (c), for the sign “;” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;

(vi) after clause (c), the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the above said conditions shall not apply to shifting of sub-vends done in compliance of second proviso to clause (aa) of this sub-rule.”.

ASHIMA BRAR,  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.